| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |

## न्यायालय उपायुक्त लोहरदगा।

परमिशन अपील 13/2016–17

रामकिशुन उराँव बनाम सोमनाथ भगत व अन्य

### आदेश

6/4/21

अपीलकर्ता रामकिशुन उराँव पिता स्व0 चरवा उराँव व अन्य साकिन ओयना बड़काटोली थाना वो जिला लोहरदगा ने वकालतनामा के साथ उप समाहर्ता भूमि सुधार, लोहरदगा के अनुमति वाद सं0 08/16–17 में दिनांक 10.06.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील आवेदन दायर किया है।

आवेदन पत्र सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत की गई। निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुना। दाखिल लिखित अभिकथन का एवं निम्न न्यायालय प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तार्किक तथ्य निम्नांकित हैं:–

1. उपरोक्त अनुमति अपील वाद न्यायालय में भूमि सुधार उप समाहर्ता, वाद संख्या 8–20/16–17 आदेश दिनांक 10.06.2016 के विरुद्ध में दाखिल किया गया है।

2. यह कि उपरोक्त वाद में तीन व्यक्ति सोमनाथ भगत गुन्ना उराँव और जमीन विक्रेता कुन्ती रानी को उत्तरवादी बनाया गया है।

3. तकरारी जमीन ग्राम ओयना एवं लोहरदगा के अर्न्तगत आर0एस0 खाता नं0 20, प्लॉट नं0 421 जिसका रकबा 0.35 डि0 है।

4. यह कि तकरारी जमीन अपीलकर्ता रामकिशुन उराँव के परदादा के नाम पर दर्ज है, जो सम्पूर्ण जमीन सम्मिलात है और संयुक्त रुप से लगान रसीद कटता है।

5. जिस जमीन को सोमनाथ उराँव का अपना अकेले हिस्से का नहीं वह सम्मिलात है और इस बात को लोवर कोर्ट ने किसी प्रकार का जाँच नहीं किया और परमिशन करने का आदेश दिये जो नजायज हैं।

6. खतियान जमीन आर0एस0 खाता नं0 20 का कभी भी पूर्व में

खतियन रैयतों के बीच जमीन का बँटवारा नहीं हुआ है, और न ही उनके वारिशों में बँटवारा हुआ है।

7. आर0एस0 खाता नं0 20 का हाल सर्वे खाता नं0 36 बना है वह भी सम्मिलात रुप से बना है।

8. आर0एस0 खाता नं0 20 जो संयुक्त रुप से बना है उसका कुल रकबा 12.66 डि0 है।

9. जिस जमीन में अपीलकर्ता खेती बारी करता है उसी जमीन को सोमनाथ भगत द्वारा सही बात को बनाए बिना परमीशन करा लिया है, और अभी भी दखल कब्जा रामकिशुन उराँव का है।

10. संयुक्त रुप से जमीन रहने के कारण लगान रसीद भी संयुक्त रुप से कटता है।

11. जब जमीन बिक्री के लिये परमिशन फाईल किए तो नजदीकी भाई, गोतीया या वंशज के लोगों को न्यायालय से किसी तरह का सूचना या नोटिस नहीं दिया गया और पक्षकार बनाया गया और आन्नन–फान्नन में जमीन को परमिशन करा दिया गया है।

12. नोटिस तामिला नहीं होने के बाद और जमीन किसके दखल कब्जा में उस को स्थल निरीक्षण नहीं किया गया।

विपक्षी की ओर से दिये गये तार्किक तथ्य निम्नांकित है:–

1. मौजा ओयना थाना नं0 140 खाता 36/20 प्लॉट नं0 519/421 रकबा 0.35 ए0 जमीन के बाबत इस वाद के विपक्षी सोमनाथ भगत पिता स्व0 रामदेव भगत या0 ओयना अलगडीहा थाना लोहरदगा के द्वारा सी0एन0टी0 की धारा 46 के अर्न्तगत भूमि सुधार, उप समाहर्ता लोहरदगा के न्यायालय में भूमि बिक्री के परमिशन हेतु आवेदन पत्र दायर किया था।

2. आवेदित भूमि की क्रेता कुन्ती रानी पति स्व0 संजय तिर्की ग्राम–सरनाटोली, लोहरदगा है।

3. उप–समाहर्ता भूमि सुधार, लोहरदगा के द्वारा मौजा ओयना के नाम पर हर आम वो खास को नोटिस निर्गत की गई।

4. अंचल अधिकारी, लोहरदगा से स्थानीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त की गई, जो जाँच प्रतिवेदन अंचलाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक 590 दिनांक 06.06.2016 प्राप्त है।

5. अंचलाधिकारी, के प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदित खाता नं0 36/20 प्लॉट नं0 519/421 में कुल जमीन 0.65 1/2 ए0 है बिक्री के पश्चात् आवेदित खाता में 0.30 1/2 एकड़ जमीन बचता है तथा खाता नं0 272 में लगभग 06.00 एकड़ जमीन उपलब्ध है। आवेदक खतियानी रैयत का पोता है। चरवा उराँव को कुँवर उराँव वल्द बिरसा उराँव वो रमा उराँव पिता भोलू उराँव वो बाबू उराँव पिता बोधे

उराँव के नाम से सरकारी रसीद कटती है।

6. क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना लोहरदगा के निवासी हैं।

7. भूमि सुधार उप–समाहर्ता, लोहरदगा के न्यायालय से आम ईश्तेहार जारी करने के बावजुद आदेश पारित होने की तिथि 10.06.2016 तक कोई आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

8. विक्रेता सोमनाथ भगत उपसमाहर्ता भूमि सुधार, न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान दर्ज कराये किन्तु किसी के द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं जतायी गई।

9. सी0एन0टी0 की धारा 46 के तहत् एक ही जाति व एक ही थाना होने की आवश्यक शर्तो को क्रेता एवं विक्रेता पुरा करते हैं।

10. खतियानी रैयतों की वंशावली निम्नांकित हैः-

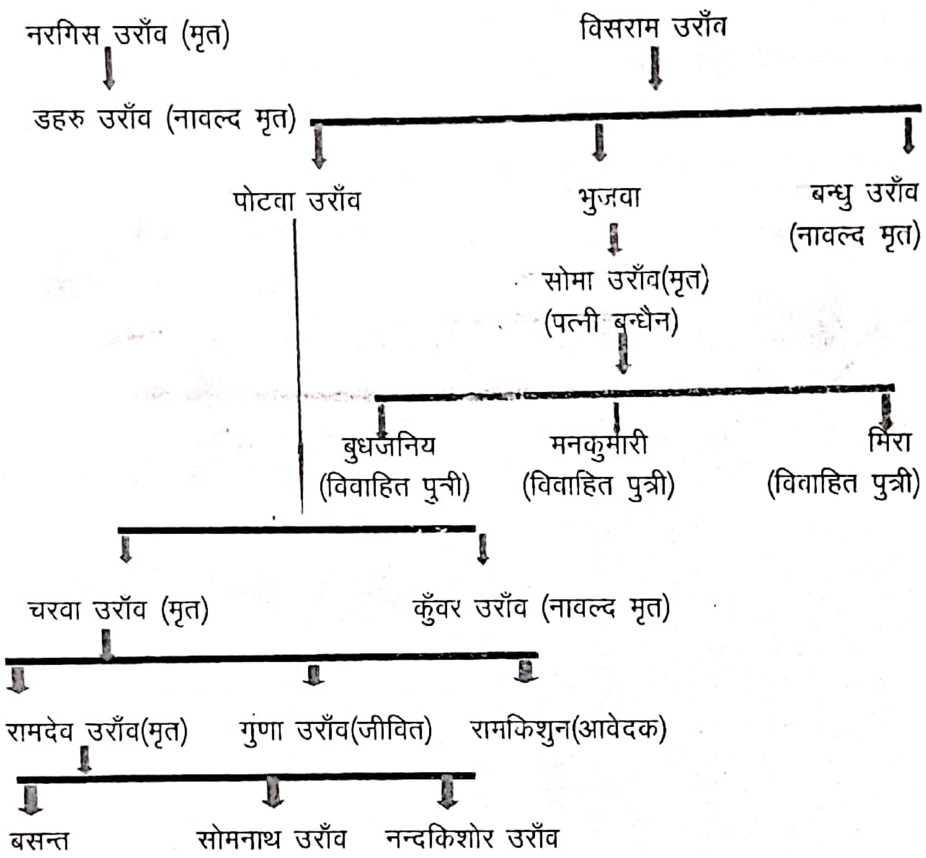


11. मौजा ओयना थाना नं0 140 आर0एस0 खाता नं0 20 में कुल सम्मिलात भूमि कुल रकबा 12.66 एकड़ जमीन है एवं हाल सर्वे खतियान में मौजा ओयना थाना नं0 140 खाता नं0 36 में सम्मिलात कुल भूमि 13.20 एकड़ भूमि है।

12. प्रस्तुत अनुमति वाद में मात्र रकबा 0.35 एकड़ भूमि की बिक्री हेतु परमिशन हेतु आवेदन किया गया एवं अनुमति प्राप्त हुआ।

**निष्कर्षः–**

मौजा ओयना थाना नं0 140 आर0एस0 खाता नं0 20 में कुल सम्मिलात भूमि कुल रकबा 12.66 एकड़ जमीन है। जिसका हाल सर्वे खाता 36 बना जिसमें कुल रकबा खतियान के अनुसार 13.20 एकड़ जमीन है। विक्रेता मात्र रकबा 0.35 एकड़ भूमि बिके हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता, लोहरदगा ने सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46 में निहित सभी प्रावधानों को पूरा करते हुए आम ईश्तेहार जारी करते हुए एवं अंचलाधिकारी, लोहरदगा के स्थानीय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर रकबा 0.35 एकड़ भूमि की बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त है।

**आदेशः–**

उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर मौजा ओयना थाना नं0 140 आर0एस0 खाता नं0 20 आर0एस0 प्लॉट नं0 421 जिसका हाल सर्वे खाता नं0 36 प्लॉट नं0 519 रकबा 0.35 एकड़ भूमि की बिक्री हेतु उप समाहर्ता भूमि सुधार, लोहरदगा के द्वारा दी गई अनुमति आदेश दिनांक 10.06.2016 को यथावत् रखा जाता है। अपीलकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

उपायुक्त,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

Digitally signed by Waghmare Prasad Krishna
Date: 2024.07.05 16:16:30 +05:30
Location: 10.93.49.26